कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः 1570/स्था01/36ए(1)प्रवि0/2015–16, दिनाक : 2/5/2016

शासन के पत्रांक–938/37–1–2016–4(18)16, दिनांक 25 अप्रैल 2016 (संलग्नक सहित) की पृष्ठांकन प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2– निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– समस्त अपर निदेशक (ग्रेड–1), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4– समस्त अपर निदेशक (ग्रेड–2), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5– विशेष कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0पशुधन विकास परिषद लखनऊ।
6– अध्यक्ष/रजिस्ट्रार/संयुक्त निदेशक, उ0प्र0पशुचिकित्सा परिषद लखनऊ।
7– समस्त संयुक्त निदेशक (गायनो0/पैथो0), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
8– संयुक्त निदेशक, डी0एफ0एस0, खीरी, बाबूगढ़ (हापुड़)/रहमानखेड़ा (लखनऊ)।
9– संयुक्त निदेशक, निबलेट, बाराबंकी।
10– संयुक्त निदेशक (तरल नत्रजन), बदायूँ, पीलीभीत, बरेली, रायबरेली।
11– संयुक्त निदेशक, प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास, प्रधान कार्यालय।
12– संयुक्त निदेशक, कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र, निबलेट–बाराबंकी (चकगंजरिया)।
13– संयुक्त निदेशक, भदावरी प्रक्षेत्र, इटावा।
14– संयुक्त निदेशक, भेड़ विकास/ऊन विकास, मिर्जापुर, भैसौड़ा चन्दौली।
15– संयुक्त निदेशक, सूकर नियंत्रण, अलीगढ़।
16– संयुक्त निदेशक, गौशाला, प्रधान कार्यालय।
17– संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रसार, प्रधान कार्यालय।
18– संयुक्त निदेशक, न्यूट्रीशियन/कुक्कुट आहार प्रयोगशाला, बादशाहबाग,लखनऊ।
19– संयुक्त निदेशक, कुक्कुट रोग निदान/पोल्ट्री पैथालोजी, प्र0का0।
20– संयुक्त निदेशक, कुक्कुट रोग नियंत्रण, प्रधान कार्यालय।
21– संयुक्त निदेशक, थनैला रोग/इपीडी0/रोग नियंत्रण/मानकीकरण, प्र0का0।
22– संयुक्त निदेशक, पशुप्रजनन/पशुविकास/नियोजन, प्रधान कार्यालय।
23– संयुक्त निदेशक, डास्प, प्रधान कार्यालय।
24– संयुक्त निदेशक, फोरेन्सिक लैब, मथुरा।
25– संयुक्त निदेशक, माइको, लखीमपुरखीरी।
26– समस्त संयुक्त निदेशक, वी0पी0संस्थान, लखनऊ।
27– समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
28– उप निदेशक, (प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
29– प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र, बी0के0टी0, लखनऊ।
30– समस्त उप निदेशक, प्रधान कार्यालय।
31– अध्यक्ष, गो सेवा आयोग, इन्दिरा भवन, 10वां तल, लखनऊ।
32– समस्त क्षेत्र प्रबंधक/अधीक्षक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
33– अनुसचिव, पशुधन अनुभाग–1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
34– श्री नवीन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासकीय पत्र (संलग्नक सहित) विभागीय बेबसाइट में डालना सुनिश्चित करें।

(नेब्बू लाल)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास),
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

निदेशक (रोग नियत्रण एवं प्रक्षेत्र),
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-1

लखनऊः दिनांक 25 अप्रैल, 2016

विषयः- उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी की कार्यावधि अंकित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की विगत वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियों के परिशीलन से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उ0प्र0 पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पशु चिकित्साधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करते समय अपनी कार्यावधि का उल्लेख न कर केवल वित्तीय वर्ष का उल्लेख किया जाता है इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी, जिसकी प्रविष्टि अंकित की गयी है, का पूरे वर्ष के दौरान कार्य देखा गया है अथवा नहीं। यह स्थिति नियमों एवं प्रक्रिया के विपरीत है। वार्षिक प्रविष्टियों में कार्यावधि अंकित न किया जाना प्रविष्टिकर्ता अधिकारी की लापरवाही भी हो सकती है और यह भी सम्भव है कि प्रविष्टिकर्ता अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को अनुचित लाभ / हानि पहुचाने के उद्देश्य से किया गया हो।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करते समय प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी) द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में अपनी कार्यावधि (जिस अवधि में उनके द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी का कार्य देखा गया हो) का स्पष्ट अंकन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय। यदि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में प्रविष्टिगर्ता अधिकारियों द्वारा अपनी कार्यावधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है, तो उनके इस कृत्य को अधीनस्थ अधिकारी को अनुचित लाभ/हानि पहुचाये जाने का प्रयास मानते हुए उनकी सत्यनिष्ठा का प्रमाणपत्र रोकने पर विचार किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-36/1/1976-कार्मिक-2/2005 दिनांक 21-02-2005 (छाया प्रति संलग्न) में निर्धारित समय सारिणी का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 938 (1)/37-1-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर निदेशक(ग्रेड-1/ग्रेड-2), पशुपालन विभाग,द्वारा निदेशक(प्र0 एवं वि0)पशुपालन।
2. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/संयुक्त निदेशक, पशुपालन, द्वारा निदेशक(प्र0 एवं वि0)पशुपालन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-36/1/1976-कार्मिक-2/2005

बी.एन. दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक, 21 फरवरी, 2005

विषयः- राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों हेतु समय-सारिणी का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 1991 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(3) से (10) तक वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। समय सारिणी के अनुसार अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन उपलब्ध कराने की तिथि 15 मई नियत है। प्रविष्टि अंकित करने के लिए निर्धारित दो स्तर के प्रकरणों में प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य 31 अगस्त तक तथा समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य 30 सितम्बर तक अंकित करने की व्यवस्था है। प्रविष्टि अंकन के लिए निर्धारित तीन स्तर के मामलों में प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित करने हेतु क्रमशः 31 जुलाई, 31 अगस्त तथा 30 सितम्बर की तिथि नियत है।

2. शासन द्वारा उक्त शासनादेश पर विचार करते हुए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया हैः-

(1) स्वमूल्यांकन 15 मई तक उपलब्ध कराये जायें।
(2) जहाँ प्रविष्टि अंकित करने के लिए दो स्तर निर्धारित हैं, वहां प्रतिवेदक प्राधिकारी अपना मन्तव्य 31 अगस्त तक तथा समीक्षक/ स्वीकर्ता प्राधिकारी अपना मन्तव्य 30 सितम्बर तक अंकित कर दें।
(3) जिन मामलों में प्रविष्टि अंकित करने के तीन स्तर निर्धारित हैं, उनमें प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी अपना मन्तव्य क्रमशः 31 जुलाई, 31 अगस्त तथा 30 सितम्बर तक अंकित कर दें।
(4) मण्डल/जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रविष्टि अंकित करने के विशेष अधिकार के तहत मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपनी प्रविष्टियां 31 अगस्त तक उपलब्ध करा दें।
(5) यदि संबंधित प्राधिकारी निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अपना मन्तव्य अंकित नहीं करते तो उनके मन्तव्य की प्रतीक्षा किए बगैर अगले स्तर के प्राधिकारी संबंधित प्रस्तर [illegible] प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

[illegible] अल्लांकित प्रतिकूल प्रविष्टियों की सुविधा हेतु निर्धारित की गयी है। [illegible] [illegible] किन्ही कारणवश निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन नहीं हो पाता है, तो नियत [illegible] के बाद अंकित की गई कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को [illegible] अवैध/कालातीत नहीं मानी जायेगी।

शासनादेश संख्या-36/1/1976-कार्मिक-2, दिनांक 30 अप्रैल,1991 एतद्द्वारा निरस्त किया गया है।

भवदीय,

(बी.एन. दीक्षित,)
विशेष सचिव।

[illegible]-36/1/1976-कार्मिक-2/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(पी. [illegible])
संयुक्त सचिव।